न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवरलाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 35/2015/(2015/00013) जिला–अजमेर

1. दुर्गश कुमार माली पुत्र पांचूलाल माली
2. चाऊ कंवर बेवा भैरू सिंह
3. प्रताप सिंह पुत्र भैरू सिंह
4. महावीर सिंह पुत्र भैरू सिंह
5. रणवीर सिंह पुत्र भैरू सिंह
6. गोविन्द सिंह पुत्र भैरू सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी दांता, तहसील व जिला अजमेर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर

–––––प्रत्यर्थी

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी अजमेर दिनांक 21–5–2015
अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 21/2015
बउनवान दुर्गेश कुमार माली व अन्य बनाम राजस्थान सरकार

———

उपस्थित– 1. श्री मदन लाल गुर्जर ,अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक, प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः– 11–4–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दांता के आराजी खसरा नम्बर 874, 875, 876, 877, 872, 873, 876, 879, 870, 871, 863 व 862 है जिसके आधार खसरा नम्बर 1167, 1170 लगायत 1177, 1112, 1121, 1122 बने है। अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि के आधारभूत खसरा नम्बर 1112, 1177, 1176, 1171, 1167 के पूर्वी दिशा की अंतिम सीमा से कुछ दूरी पहले अपीलार्थीगण की आराजी के बीच में इन खसरा नम्बरान की सीमाओं के

समानान्तर मध्य से डोटेट चिन्ह मुर्तिब कर दिये गये है। जबकि अपीलार्थीगण के वर्कीग नक्शा ट्रेस में ऐसे कोई चिन्ह मुर्तिब नहीं है। इन मुर्तिब चिन्हों को हटाये जाने हेतु धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि रास्ते के उपयोग में आने व अजमेर विकास प्राधिकरण को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अपने आदेश दिनांक 21–5–2015 से खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 21–5–15 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थीगण के वर्किंग नक्शा ट्रेस में ऐसे कोई चिन्ह मुर्तिब नहीं है। इन मुर्तिब चिन्हों से अपीलार्थीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसकी दुरूस्ती करते हुए वर्किंग नक्शा ट्रेस की भांति आधार नक्शा ट्रेस को मुर्तिब किया जाना न्यायोचित है बन्दोबस्त विभाग को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश एवं बिना किसी रहन, बय मुन्तकिल किए नक्शा ट्रेस में दर्शित तरमीम को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना नोटिस जारी किये प्रार्थना पत्र को लोक अदालत में नियत कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में केवल आधार संख्या 1167, 1170 लगायत 1177, 1112, 1121, 1122 के संबंध में प्रस्तुत किया था उक्त खसरा नम्बरान में डोटेट चिन्ह मुर्तिब कर रखे थे, उक्त डोटेट चिन्ह को हटाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 प्रस्तुत किया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर अपीलार्थीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना लोक अदालत में एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जो विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है तहसीलदार, अजमेर ने आधार खसरा संख्या 1269 अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होना बताया है जबकि आधार खसरा संख्या 1269 बाबत अपीलार्थीगण ने कोई रीलीफ ही नहीं चाही गई न ही 1269 खसरा नम्बर अपीलार्थीगण की आराजियात के आस–पास स्थित है न ही अपलार्थीगण उक्त खसरा नम्बर से पीड़ित थे। तहसीलदार, अजमेर ने केवल अपने जवाब में 1269 खसरा नम्बर बाबत जवाब पेश किया था जिससे अपीलार्थी को कोई भी सरोकार ही नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार के जवाब के आधार पर यह माना कि अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था तो अधीनस्थ न्यायालय, अजमेर विकास प्राधिकरण को पक्षकार

बनाने हेतु उसे नोटिस जारी कर सकती थी एवं उसे साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर तत्पश्चात आदेश पारित करना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अवैधानिक तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–5–2015 निरस्त किये जाने हेतु निवेद किया गया।

अपीलार्थीगण की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ग्राम दांता में स्थित आराजियात खसरा नम्बर 1269 की भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है उक्त प्रकरण में अजमेर विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाया जाना था किन्तु पक्षकार नहीं बनाया गया एवं न ही अजमेर विकास प्राधिकरण की सहमति ली है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रेकार्ड में हुई लिपीकीय त्रुटि जो कि दोनों पक्ष की सहमति से दुरूस्त करवाई जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–5–2015 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हुेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम दांता के आराजी खसरा नम्बर 874, 875, 876, 877, 872, 873, 876, 879, 870, 871, 863 व 862 है जिसके आधार खसरा नम्बर 1167, 1170 लगायत 1177, 1112, 1121, 1122 बने है। अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि के आधारभूत खसरा नम्बर 1112, 1177, 1176, 1171, 1167 के पूर्वी दिशा की अंतिम सीमा से कुछ दूरी पहले अपीलार्थीगण की आराजी के बीच में इन खसरा नम्बरान की सीमाओं के समानान्तर मध्य से डोटेट चिन्ह मुर्तिब कर दिये गये है। जबकि अपीलार्थीगण के वर्किंग नक्शा ट्रेस में ऐसे कोई चिन्ह मुर्तिब नहीं है। इन मुर्तिब चिन्हों को हटाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। धारा 136 के दोनों पक्षों की सहमति से केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण की आराजियात के पास स्थित भूमि खसरा नम्बर 1269 अजमेर विकास प्राधिकरण की भूमि होने के कारण अजमेर विकास प्राधिकरण को भी सुनना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में अजमेर विकास प्राधिकरण को पक्षकार नहीं बनाया गया और लोक अदालत में तहसीलदार, अजमेर की रिपोर्ट को आधार मानकर एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत एक सीमित क्षैत्राधिकार सक्षम अधिकारी को दिये गये है जिसके अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में हुई लिपीकीय त्रुटि जो कि दोनों पक्ष की सहमति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुरूस्त करवाई जा सकती है जबकि प्रस्तुत

प्रकरण नक्शा ट्रेस दुरूस्ती से संबंधित होने के कारण अजमेर विकास प्राधिकरण को भी पक्षकार बनाकर दोनों पक्षों को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर आदेश पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में न तो अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया और न ही अजमेर विकास प्राधिकरण को पक्षकार ही बनाया और प्रकरण लोक अदालत में एकपक्षीय पारित कर अजमेर विकास प्राधिकरण को पार्टी नहीं बनाये जाने का आधार मानते हुए खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–5–2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी,) अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–5–2015 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 21/2015 बउनवान दुर्गश व अन्य बनाम राजस्थान सरकार त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को पक्षकार बनाकर दोनों पक्षों को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका देकर उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं प्राप्त मौका रिपोर्ट की गहनता से जांच कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर